पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
समस्तीपुर

कार्यालय आदेश स0:–28/NG/2019/Rectt. Cell/SPJ

परिचालन विभाग के प्वाइंट्समैन कोटि के निम्नलिखित सेवानिवृत्त कर्मचारीगण जो मासिक मानदेय के आधार पर रि–इंगेजमेन्ट हेतु दिनांक 27.02.2019 को संपन्न Skili/Competency जॉच में उपयुक्त पाये गये है एवं मंडल रेल चिकित्सालय/समस्तीपुर द्वारा वांछित मेडिकल श्रेणी में फिट है, को उनके नाम के सामने अंकित पद, पदस्थापना स्थल एवं मासिक मानदेय पर रि–इंगेज किया जाता है। मासिक मानदेय का निर्धारण अलग से किया जायेगा।

प्वाइंट्समैन–बी:-

| क्र. स0 | आवेदक का नाम | पिता का नाम | जन्म तिथि | सेवानिवृत्ति तिथि | 65 वर्ष आयु पुरा होने की तिथि | सेवानिवृत्ति के समय का पद/ कार्यस्थल | चिकित्सा कोटि | रि–इंगेजमेन्ट पर पद एवं पदस्थापना स्थल | फोटो | हस्ताक्षर एवं बॉये ॲगूठे का निशान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHOK RISHIDEV | BRAHMI MUSHAR | 26.01.58 | 31.01.18 | 26.01.23 | Pointsman-B/ KPB | No-030405/06 Fit in A-2 with NV & DV Glasses by ACMS/SPJ Dt.- 15.05.19 | Pointsman-B/ KPB | | अशोक ऋषिदेव |

सहायक कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर

उपर्युक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों का रि–इंगेजमेंट निम्न शर्तो के अधीन होगा:–

1. आरबीई सं0 150/2017 एवं आरबीई 193/2017 के अनुसार रि–इंगेजमेन्ट की वैधता दिनांक 01.12.2019 तक अथवा रि–इंगेज सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 65 वर्ष पुंर्ण होने तक के लिए जो भी पहले हो, तक के लिए होगा।
2. रि–इंगेज सेवानिवृत्त कर्मचारियों का मासिक मानदेय, अंतिम वेतन+डीए–पेंशन से अधिक नहीं होगा।
3. यदि रि–इंगेज सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कारण रेल प्रशासन को किसी भी प्रकार का आर्थिक क्षति होती है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा तथा इसके लिए प्रशासन का जो भी निर्णय होगा वह स्वीकार्य होगा।
4. सीधी भर्ती कोटे से, रेलवे भर्ती बोर्ड या प्रकोष्ठ या अन्य स्त्रोत से चयनित अभ्यर्थी के नियुक्ति के साथ ही रि–इंगेज कर्मचारियों को तत्काल सेवा से मुक्त कर दिया जायेगा।

क्रमशः

5. रि–इंगेज सेवानिवृत कर्मचारियों से Cash Handling का कार्य नहीं कराया जायेगा।
6. संरक्षा पदों पर तैनाती से पूर्व संबंधित शाखाधिकारी द्वारा दक्षता प्रमाण–पत्र जारी करना अनिवार्य होगा।
7. संतोषजनक सेवा नहीं होने की स्थिति में, अनुशासनहीनता, कर्तव्यों के प्रति शिथिलता एवं आचरण नियमों में उल्लंघन के दोषी पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के आपकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
8. रेल आवास की सुविधा, सीयुजी सीम की सुविधा, रेल सेवा में मासिक मानदेय पर तैनाती के शीर्ष पर कोई चिकिसकीय सुविधा एवं अन्य कोई रेलवे सुविधा/लाभ देय नहीं होगा।
9. मासिक मानदेय के अलावा अन्य कोई भता, अग्रिम, लोन इत्सादि अनुमेय नहीं है।
10. रि–इंगेज सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कार्य से अनुपस्थित होने के स्थिति में अनुपस्थित अवधि का पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
11. रि–इंगेज सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का अवकाश जैसे CL, LAP, Sick Leave आदि देय नहीं होगा।
12. रि–इंगेज सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सामान्य कार्य अवधि वही होगा जो सामान्य प्रकार से नियुक्त कर्मचारी के लिए है।
13. विश्राम के संबंधित निर्देश निम्न प्रकार है:– The contractual staff may be permitted off on Sundays and national holidays. However they may be called for duty on any day including Sundays and national holidays for which compensatory leave may be given later. In addition , Contractual staff may be granted two days leave for each completed month of engagement in Railway. The accumulated leave will lapse as soon as the contractual period is over and cannot be carried over to next contract (If any).
14. आपके रि–इंगेजमेंट से संबंधित रेलवे बोर्ड द्वारा जारी समस्त विर्निदिष्ट नियम आप पर लागू होगें तथा भविष्य में भी समय–समय पर रि–इंगेजमेन्ट से संबंधित रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नियमों एवं उपनियमों के तहत आपका रि–इंगेजमेन्ट संचालित होगी एवं आप इसे स्वीकार करने को बाध्य होगे।
15. प्रशासन के आवश्यकता अनुसार आपको सभी प्रशिक्षण/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में जाना पडेगा।
16. आप पुर्णतः अस्थायी रूप से रिइंगेज किये गये है।
17. रि–इंगेजमेन्ट की समाप्ति पश्चात् आपका पूर्व के पेंशन लाभ को छोडकर किसी अन्य प्रकार का उपादान/लाभ देय नहीं होगा।
18. आपको इस आदेश के तिथि से 10 दिनों के भीतर अपना योगदान देना होगा अन्यथा यह आदेश कालातीत हो जायेगा।
19. संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारी के द्वारा अपने रि–इंगेजमेन्ट स्थल पर संबंधित पर्यवेक्षक के साथ 20रू0 के नन–ज्युडिशियल स्टाम्प पर एक एग्रीमेन्ट करेगे। सुलभ संदर्भ हेतु एग्रीमेन्ट का प्रारूप संलग्न है।

इस पर मरेप्र/समस्तीपुर का अनुमोदन प्राप्त है।

(चन्द्र किशोर)
सकाधि– ।।
कृते मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)समस्तीपुर

क्रमशः

स0:– ईसीआर/एसपीजे/01/रि–इंगेज/2018/प्वाइंट्समैन

दिनांक:– 28.06.19

प्रतिलिपि:–

1. महाप्रबंधक(कार्मिक)/हाजीपुर
2. वमंविप्र/समस्तीपुर
3. वमंपचाप्र/समस्तीपुरः– वे कृपया उपरोक्त सेवानिवृत कर्मचारियों के रि–इंगेजमेन्ट हेतु योगदान से पूर्व यदि आवश्यक हो तो आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना अपने स्तर से सुनिश्चित करेगे।
4. मुकार्याधी/परिचालन संवर्ग
5. मुकार्याधी/प्रशासन
6. कार्याधी/एमपीपी:– वे इस कार्यालय आदेश को ECR के समस्तीपुर मंडल के कार्मिक विभाग के अधिकृत Website पर Upload करेंगे।
7. स्टेधी/खरपोखरा– वे कृपया उपर्युक्त शर्तो के अधीन योगदान कराने से पूर्व 20/– के नन–ज्युडिशियल स्टाम्प पर एक एग्रीमेंट कराया जाना सुनिशिचित करेगे। तत्पश्चात् ही सेवानिवृत कर्मचारियों का योगदान करायेगे एवं उक्त एग्रीमेंट की मूल प्रति योगदान रिपोर्ट के साथ ही इस कार्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करेगे।
8. मुकार्याधी/बिल/समस्तीपुरः– वे कृपया आरबीई स0– 150/2017 एवं आरबीई 193/2017 के निर्देशानुसार सभी रि–इंगेज सेवानिवृत कर्मचारियों का मासिक मानदेय, अंतिम वेतन+डीए–पेंशन के आधार पर निधारित कर दिया जाना सुनिश्चित करेगे।
9. सभी रि–इंगेज सेवानिवृत कर्मचारीगण– वे कृपया अपने कार्यस्थल पर योगदान से पूर्व संलग्न प्रारूप के अनुसार एग्रीमेन्ट करेगे।
10. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू एवं अजा/अजजा, ओबीसी एशो0/समस्तीपुर

कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/समस्तीपुर